। क

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश-109(भाग-3) /2024-25/ 2267 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक: 28 अगस्त, 2024

समस्त सम्भागीय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश(109)-भाग-3/2019-20/3804/ वाणिज्य कर दिनांक 14.11.2019, पत्र संख्या-4034 दिनांक 26.11.2019, पत्र संख्या-4081 दिनांक 27.11.2019, पत्र संख्या-1611 दिनांक 23.07.2021, पत्र संख्या-860 दिनांक 19.05.2022 व पत्र संख्या-3243 दिनांक 11.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जोनल कार्यालय एवं जोन के सम्भागीय संभागीय संयुक्त आयुक्त से अपने-अपने सम्भागों के समस्त खण्डों / मण्डलीय / उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी / निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

यू0पी0 राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टॉफ एसोसिएशन, उ0प्र0 ने मांग-पत्र संख्या-16 दिनांक 20.08.2024 प्रस्तुत करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यालय द्वारा पूर्व में प्राइवेट/बाहरी व्यक्तियों से कार्य न लिये जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र भी मांगे गये हैं। परन्तु प्रमाण-पत्र तो कार्यालय से जारी कर दिये जाते हैं। किन्तु प्रायः देखने में यह आता है कि प्राइवेट/बाहरी व्यक्ति जस के तस कार्य करते रहते हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त व्यक्ति जो सरकारी सेवक नहीं है उनसे राजकीय कार्य न लिया जाय। यदि किसी कार्यालय/अनुभाग में इस प्रकार के बाहरी व्यक्ति से कार्य लिये जाने के पश्चात् कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र कि **आपके अधीनस्थ किसी भी कार्यालय/अनुभाग में कोई भी बाहरी / निजी व्यक्ति कार्यरत नहीं है,** उपलब्ध करायें। अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को यह भी संसूचित करें कि आकस्मिक जॉच में यदि किसी कार्यालय/अनुभाग में कोई बाहरी / निजी व्यक्ति कार्य करते हुये पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

28.8.24
(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा।
2- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0(गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को छोड़कर) को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा जोन के सम्भागीय संयुक्त आयुक्त से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।
3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
6- प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री, यू0पी0 राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टॉफ एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ/अमरोहा।

28.8.24
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमती प्रतिभा

DC (IT)
28/08/024